रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18072023-247420
CG-DL-E-18072023-247420

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3097] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 18, 2023/आषाढ़ 27, 1945
No. 3097] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 18, 2023/ASHADHA 27, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2023

का.आ. 3229(अ).—भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में का.आ. 2779 (अ) तारीख 26 जून, 2023 (इसके पश्चात 'प्रारूप अधिसूचना' के रूप में संदर्भित) द्वारा एक अधिसूचना जारी की, जिसमें पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा 2 (iii) के तहत ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम कार्यान्वयन नियम, 2023 के प्रारूप प्रावधान अंतर्विष्ट हैं;

प्रारूप अधिसूचना के प्रकाशन के माध्यम से प्रभावित होने की संभावना वाली जनता की जानकारी के लिए नोटिस दिया गया था और उल्लेख किया गया था कि उक्त अधिसूचना पर आपत्तियां या सुझाव, जो किसी भी व्यक्ति से प्राप्त हो सकते हैं, पर आधिकारिक राजपत्र में प्रारूप के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

प्रारूप अधिसूचना के तहत निर्दिष्ट किया गया था कि उक्त अधिसूचना के प्रारूप के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ (60) दिनों की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद विचार किया जाएगा।

प्रारूप अधिसूचना केवल ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के संचालन के लिए कार्यान्वयन और तंत्र के लिए रूपरेखा प्रदान करती है;

संबंधित हितधारकों के साथ कई परामर्श किए गए हैं और ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम कार्यान्वयन नियम, 2023 के प्रारूप प्रावधानों पर हितधारकों से सुझाव/टिप्पणियां भी प्राप्त हुई हैं;

अंतर-मंत्रालयी परामर्श आयोजित किए गए हैं और उक्त परामर्श के माध्यम से सुझाव/टिप्पणियां प्रदान की गई हैं;

अत: अब, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा 2(iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को बढ़ावा देने के लिए अंतिम अधिसूचना को प्रभावी करने के लिए प्रारूप अधिसूचना में उल्लिखित साठ दिनों की नोटिस अवधि की बजाय, सुझावों अथवा टिप्पणियाँ मांगने के लिए इसके द्वारा 31 जुलाई, 2023 को अंतिम तारीख के रूप में नियत करती है।

[फा. सं. 12/24/2023-एचएसएम]

नमिता प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2023

S.O. 3229(E).—Whereas the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide S.O. 2779 (E) dated 26th June, 2023 (herein after referred as 'the draft notification') issued a notification containing draft provisions of Green Credit Programme Implementation Rules, 2023, under sub-section 2(iii) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) on 27th June 2023;

Whereas, through the publication of the draft notification, notice was given for the information of the public likely to be affected and mentioned that the objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said Notification within the period 60 days from the date of publication of the draft in the official Gazette, will be taken into consideration by the Central Government;

Whereas, the draft notification specified that the said notification will be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty (60) days from the date of publication of the draft in the official Gazette;

Whereas, the draft notification provides the framework only for implementation and mechanism for operationalisation of the Green Credit Programme;

Whereas, several consultations have been undertaken with the concerned stakeholders and suggestions/comments have also been received from the stakeholders on the draft provisions of Green Credit Programme Implementation Rules, 2023;

Whereas, inter-ministerial consultations have been conducted and suggestions/comments have been provided through the said consultations;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section 2(iii) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby fixes 31st July, 2023 as the last date for seeking suggestions or comments, instead of the notice period of sixty days as mentioned in the draft notification, in order to give effect to the final notification for promotion of voluntary environmental actions.

[F. No. 12/24/2023-HSM]

NAMEETA PRASAD, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.07.18 22:28:03 +05'30'